सेमा बनाम प्रभु

मुकदमा नम्बर 51/20 राजस्व वाद

आदेश

दिनांक 22.7.2021

वकुलाय पक्षकार मय अधिवक्ता उपस्थित ।प्रकरण मे प्रतिवादी भंवर के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत ऑर्डर 7 नियम 11 जा.दी. व धारा 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब देना वकील वादी अधिवक्ता द्वारा नही चाहा गया तथा प्रकरण मे सिधी बहस करनी चाही ।प्रार्थना पत्र के जवाब का अवसर समाप्त किया तथा प्रकरण मे बहस सुनी गई । वादी अधिवक्ता द्वारा वकील विपक्षी की और से प्रस्तुत दस्तावेज जिसमे विकय पत्र शामील है और पुर्व मे प्रस्तुत वाद तथा उसका निर्णय होना शामील है से सहमति व्यक्त की और कथन किया गया की प्रतिवादी भंवर के पिता प्रभु द्वारा धोखे मे रखकर विकय पत्र संपादित करवाया गया है , इसके विपरीत वकील विपक्षी भंवर के अधिवक्ता का तर्क है कि वादी द्वारा भूमि पर स्थित मकान तथा खुली भूमि वर्ष 1982 मे विकय की है तथा वर्ष 1982 से हमारा कब्जा चला आ रहा है समय समय पर मकान मे पुर्ननिर्माण भी किया गया है साथ ही विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा पुर्व मे फेसल प्रकरण सं. 81/2019 की और हमारा ध्यान आकर्षित किया और कथन किया की इस वाद बिन्दु पर पुर्व मे वाद पेश किया था जो खारीज हुआ है तथा उसमे प्रस्तुत जवाबदावा से स्पष्ट है कि विकय पत्र का हवाला दिया गया है तथा वाद विधि द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी मे आता है क्योकि विकय पत्र मे स्पष्ट रूप से आबादी मे स्थित मकान का होना दर्शित किया गया है ऐसी परिस्थति मे आबादी भूमि का मामला इस न्यायालय मे विचाराधीन नही रह सकता है । विपक्षी अधिवक्ता की और से स्पष्ट किया गया की वादी द्वारा मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने तथा और अधिक पैसे प्राप्त करने की नियत से झूठे वाद प्रस्तुत किए जा रहे है।

हमारे द्वारा समस्त तथ्यों और दस्तावेजात का अवलोकन किया गया हमारी विनम्र राय मे यह बात सु–स्थापित है कि वादी द्वारा वर्ष 1982 मे अपनी भूमि को विकय किया गया है विकय पत्र मे आबादी भूमि होना स्पष्ट दर्शित है तथा उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी भंवर व उसके पिता प्रभु का काबिज होना भी साबित है इसके अलावा वर्ष 2009 मे वादी द्वारा वाद पेश किया था जो 2016 में खारीज हुआ है जिसके पुन: नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र 9 R 4 CPC पेश किया गया जिसे स्वीकार कर वाद पुन: पर नम्बर पर लेकर इसी न्यायालय में वाद चल रहा है अत: इस

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अकारण प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से अलग अलग समय पर वाद पेश कर परेशान किया जा रहा है जबकि उसका भूमि मे कोई हक हित बकाया नही रहता है तथा इसके अलावा प्रकरण की जमाबंदी से भी स्पष्ट है कि अन्य खातेदारान् भी भूमि के है लेकिन उन्हे पक्षकार के रूप मे सृजित नही किया गया है ऐसे मे वादी का यह कथन की उसकी भूमि को लेकर विवाद किया जा रहा है हास्यापद कथन प्रतित होता है ।तथा यदि धोखे मे रखकरविक्रय पत्र संपादित करवाया होता तो वादी अवश्य पुलिस कार्यवाही अमल मे लाता लेकिन रेकार्ड पर एसा कोई तथ्य नही है कि उसके द्वारा कोई पुलिस कार्यवाही की गई है।

यह न्यायालय विपक्षी वकील के समस्त तर्को को यथोचित पाती है तथा वकील वादी के तथ्यों से असहमति व्यक्त करते हुए ।वकील विपक्षी भंवर की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत ऑर्डर 7 नियम 11 जा.दी. व धारा 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाया जाता है , तथा वादी का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाना उचित पाया जाता है, क्योकि वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवम् क्षैत्राधिकार का नही है तथा पुर्व न्याय से भी वादी के अधिकार खत्म हो चुके है।

वादी का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है ।प्रकरण फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर किया जाए तथा नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक22.7.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अनिल कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा